"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2004— श्रावण 6, शक 1926

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2004

संकल्प

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना.

क्रमांक एफ 5-12/2002/10-1.— चूंकि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एवं संगठन औषधीय पादपों एवं वनौषधियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में समन्वय और जानकारी के आदान प्रदान की आवश्यकता महसूस की गई है; और चूंकि औषधीय पादपों के विनाशविहीन विदोहन, उपलब्ध औषधीय पौधों के विपणन, कच्ची वनौषधियों के उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के बारे में चिंता व्यक्त की गई है.

2. और चूंकि, गहन विचार विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार का यह मत है कि औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाशविहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा वनौषधि निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने, सभी विभागों एवं संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर एक निकाय स्थापित किया जाना चाहिए.

3. इसलिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित

सदस्यों से मिलकर बनेगा :-

1.	मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	वन विभाग का भारसाधक मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
4.	कृषि विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
5.	अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
7.	उद्योग विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
8.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
9.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
10.	वन विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
11.	उद्योग विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
12.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
13.	अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
14.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
16.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	सदस्य
17.	संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, छत्तीसगढ़	सदस्य
18.	राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, भारत शासन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
19.	संचालक, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ.	सदस्य
20.	संचालक, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	सदस्य
21.	शासन द्वारा नामांकित औषधि पौधों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति/अधिष्ठाता/प्रोफेसर.	सदस्य
22.	शासन द्वारा नामांकित ख्याति प्राप्त टेक्सॉनामिस्ट (विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग का प्रोफेसर अथवा भारत शासन/राज्य शासन के किसी संस्थान का वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ).	सदस्य
23.	शासन द्वारा नामांकित औषधि पौधों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि.	सदस्य
24.	शासन द्वारा नामांकित आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता कंपनियों के दो प्रतिनिधि.	सदस्य
25.	शासन द्वारा नामांकित औषधि पौधों के कृषकों का एक प्रतिनिधि	सदस्य
26.	राज्य शासन द्वारा नामांकित मुख्य वन संरक्षक से अनिम्न ग्रेड का	सदस्य सचिव

272(अ)

राज्य का सेवारत वन अधिकारी या अनुभवी सेवानिवृत्त वानिकी विशेषज्ञ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

बोर्ड की बैठक वर्ष के जनवरी से अप्रैल, मई से अगस्त तथा सितंबर से दिसंबर के ब्लॉक में एक-एक बार होगी. आवश्यकतानुसार इससे अधिक बैठक आयोजित करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जा सकेगा.

4. **बोर्ड के कार्य :-**

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे :-

(i) वनौषधियों के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना.

(ii) केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करना.

(iii) औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाशविहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना.

(iv) औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण.

(v) औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना.

(vi) औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आंकलन कराना.

(vii) औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना.

(viii) पारम्परिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना.

(ix) पारम्परिक चिकित्सकों तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेन्ट कराना.

(x) वनौषधियों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य.

5. **बोर्ड की सशक्त समिति :-**

बोर्ड द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों के समन्वय एवं समीक्षा हेतु निम्नलिखित सशक्त समिति गठित की जाती है :-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	वित्त विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
4.	वन विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ	सदस्य
7.	उद्योग एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य

8.	स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
9.	ग्रामीण विकास विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
10.	अनुसूचित जाति, आदिमजाति कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
11.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बोर्ड	सदस्य सचिव

6. बोर्ड के अमले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त वन संरक्षक स्तर के 1 अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त संचालक ग्रेड के भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के 1 आयुर्वेदिक औषधि विशेषज्ञ, 1 शीघ्रलेखक, 2 डाटा एण्ट्री आपरेटर, 1 लेखापाल, 1 उच्च श्रेणी लिपिक, 1 स्वागतकर्ता तथा 2 संदेश वाहक होंगे. बोर्ड के लिए अमले की भरती अलग से नहीं होगी, सभी पद प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति से भरे जाएंगे. डाटा एण्ट्री आपरेटर संविदा नियुक्ति पर रखे जाएंगे.

7. बोर्ड को सौंपे गये कार्य को निष्पादित करने के लिए अपनी कार्य विधि को विनियमित करने का अधिकार होगा तथा यह डाटा एकत्र करने, औषधीय पादपों तथा वनौषधियों से संबंधित शोध एवं अनुसंधान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को काम सौंप सकेगा.

8. बोर्ड को किराये पर भवन लेने और कार्यालय उपस्करों में व्यय करने का अधिकार होगा.

9. बोर्ड का व्यय छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा राज्य शासन से बोर्ड के लिए प्राप्त अनुदान से वहन किया जाएगा.

10. बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा.

11. बोर्ड इस संकल्प के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से स्थापित होगा और कार्य करना आरंभ कर देगा. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-09-2002 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य औषध वनस्पति मंडल एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित 2005.